कौशल विकास संचालनालय मध्यप्रदेश

नर्मदा मार्ग, रामपुर चौराहे के आगे, जबलपुर मध्यप्रदेश

कौशलं बलम

Ph: +91-761-2661021 |Web: www.mpskills.gov.in | Android App: KOUSHALAM | Facebook: Mapskills | Twitter: Map_Skills

-: आदेश :-

जबलपुर, दिनांक: 01/09/2025

क्रमांक कौविसं./स्थाप-प्र/सामा-249/2025/ 4064 /मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल भोपाल द्वारा प्रशिक्षण अधिकारी भर्ती परीक्षा **2024** के अंतर्गत **मेन्टेनेंस मैकेनिक** पद के लिये आयोजित लिखित परीक्षा के उपरान्त कर्मचारी चयन मण्डल से प्राप्त चयन सूची के आधार पर निम्नलिखित चयनित उम्मीदवारों को उनके अभिलेखों के परीक्षणोंपरांत एवं पुलिस चरित्र सत्यापन प्रमाण पत्र प्राप्त होने की प्रत्याशा में मध्यप्रदेश तृतीय श्रेणी अलिपिकवर्गीय संवर्ग (तकनीकी) में मेन्टेनेंस मैकेनिक के पद पर वेतनमान **22100-70000** एवं अन्य भत्ते जो राज्य शासन द्वारा मान्य है, पर तीन वर्ष की परीवीक्षा अवधि पर उनके द्वारा कार्यग्रहण करने की तिथि से उनके नाम के समक्ष दर्शाई गई औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था में अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक के लिए निम्न शर्तो पर नियुक्त कर पदस्थ किया जाता है:-

1. म.प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्रमांक एफ **3/1/2/2014/2023**-जीएडी-आरसी-**01** (जीएडी) दिनांक **26** जून **2023** के अनुसार माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ इंदौर द्वारा जारी अंतरिम आदेश के माध्यम से अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु आरक्षण सीमा **14** प्रतिशत तय की गई है तदानुसार आदेश जारी किया जा रहा है।
2. परीवीक्षा अवधि में उस पद के वेतनमान के न्यूनतम का प्रथम वर्ष **70** प्रतिशत, द्वितीय वर्ष में **80** प्रतिशत एवं तृतीय वर्ष में **90** प्रतिशत राशि, स्टायपेंड के रूप में देय होगी। परीवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर वेतनमान में वेतन दिया जाना प्रारंभ किया जायेगा।
3. परीवीक्षा अवधि में उनकी सेवाऐं कभी भी बिना कारण बताऐ एवं बिना नोटिस दिए समाप्त की जा सकेगी।
4. कार्यग्रहण करने के उपरांत यदि स्वयं की इच्छा से सेवायें छोड़ना चाहते हैं तो एक माह पूर्व नोटिस या एक माह का पूर्ण वेतन देना होगा। इसी तरह यदि विभाग सेवायें समाप्त करता है तो विभाग एक माह पूर्व नोटिस अथवा एक माह का वेतन भुगतान कर सेवायें समाप्त कर सकेगा।
5. कार्यग्रहण के समय जिला मेडिकल बोर्ड का चिकित्सीय स्वास्थ्य प्रमाण पत्र संबंधित संस्था में प्रस्तुत करना होगा।
6. यदि किसी उम्मीदवार का दिव्यांगजन प्रमाण पत्र, ईडब्ल्यूएस, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित जाति प्रमाण पत्र या नियुक्ति संबंधी अन्य कोई प्रमाण पत्र फर्जी पाया जाता है तो उसकी सेवायें तत्काल प्रभाव से बिना नोटिस दिये समाप्त की जा सकेगी और उसके विरूद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज किया जा सकेगा ।
7. यह नियुक्ति आदेश पुलिस चरित्र सत्यापन की प्रत्याशा में जारी किये जा रहे हैं, यदि चरित्र सत्यापन की रिपोर्ट में आप शासकीय सेवा के अयोग्य पाये जाते हैं तो आपकी नियुक्ति तत्काल प्रभाव से समाप्त की जावेगी। कार्यग्रहण के समय इस हेतु आपको संलग्न प्रारूप पर शपथ पत्र संबंधित संस्था/कार्यालय प्रमुख को प्रस्तुत करना होगा।
8. उम्मीदवारों की आपसी वरिष्ठता मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्ते) नियम **1961** के नियम **12(1)**(क) के अनुसार कर्मचारी चयन मण्डल भोपाल से प्राप्त चयनित मेरिट सूची अनुसार होगी।

9. मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ-9/3/2003/नियम/चार, दिनांक 13.04.2005 के तहत 01.01.2005 के उपरांत नियुक्त राज्य शासन के कर्मचारियों को अंशदान पेंशन योजना लागू होगी। म.प्र. सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1976 लागू नहीं होंगे तथा म.प्र. सामान्य भविष्य निधि लागू नहीं होंगे।

10. उम्मीदवार को नियुक्ति आदेश जारी होने की दिनांक से एक माह के अंदर संबंधित संस्था में कार्यग्रहण करना अनिवार्य है। एक माह की अवधि में उपस्थित न होने पर नियुक्ति आदेश स्वमेव निरस्त माना जावेगा।

क्र	उम्मीदवार का नाम पिता/पति का नाम एवं पता	पद का नाम	योग्यता डिग्री/ डिप्लोमा/ आईटीआई	आरक्षित/ अनारक्षित	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था का नाम जहां पदस्थापना की गई है
1	2	3	4	5	6
1	मोहम्मद सरवर पुत्र मोहम्मद अनवर 05 गढ़ा मार्ग वार्ड नंबर 12 गोविंदगढ़ हुजूर रीवा मध्य प्रदेश पिन कोड: 486550	मेंटेनेंस मैकेनिक	आईटीआई अप्रेंटिस	ओबीसी (अनारक्षित के विरूद्व)	नसरूल्लागंज (सीहोर)
2	आशीष कुमार त्रिपाठी पुत्र कोदू लाल त्रिपाठी 20 हलिया कला पोस्ट बैरहाना बीरसिंहपुर सतना मध्य प्रदेश पिन कोड: 485226	मेंटेनेंस मैकेनिक	बीई	ईडब्ल्यूएस	सागर
3	हेमन्त कुमार कटारिया पुत्र राजकुमार कटारिया 1/17 सीएमआईजी अजंता कॉम्प्लेक्स इंद्रपुरी भोपाल मध्य प्रदेश पिन कोड: 462022	मेंटेनेंस मैकेनिक	आईटीआई अप्रेंटिस	एससी	रतलाम
4	राहुल कुमार पुत्र सुनील कुमार मकान नंबर 95 ग्राम जिरी पोस्ट झीनापिपरिया ढीमरखेड़ा कटनी मध्य प्रदेश पिन कोड: 483332	मेंटेनेंस मैकेनिक	आईटीआई एडवांस सर्टिफिकेट इन प्रिसीजन इंजीनियरिंग	एससी	भोपाल
5	सोनाली सूरज गजभिये पुत्र सूरज गजभिये 85 जलाराम वार्ड पांढुर्ना छिन्दवाडा मध्य प्रदेश पिन कोड: 480334	मेंटेनेंस मैकेनिक	अप्रेंटिस कोर्स पास एवं सीटीआई	एससी महिला	रीवा
6	शिव कुमार विश्वकर्मा पुत्र विजय कुमार मकान नंबर 64 वार्ड नंबर 17 ग्राम लमतारा पोस्ट खिरहनी कला सिहोरा जबलपुर मध्य प्रदेश 483334	मेंटेनेंस मैकेनिक	आईटीआई डिप्लोमा इलेक्ट्रकल इंजीनियरिंग	ओबीसी (लोकोमोटर)	भोपाल

संचालक
कौशल विकास मध्यप्रदेश

क्रमांक कौविसं/स्थाप-प्र/सामा-249/2025/ 4065 /जबलपुर, दिनांक 01/09/2025

प्रतिलिपिः- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

1. महालेखाकार, म.प्र. ग्वालियर।
2. निज सचिव, मान. मंत्रीजी, म.प्र. शासन, तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग, भोपाल।

3. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग, भोपाल।
4. समस्त संयुक्त संचालक, कौशल विकास, क्षेत्रीय कार्यालय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थायें, मध्यप्रदेश।
5. संबंधित प्राचार्य/संस्था प्रमुख, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, मध्यप्रदेश। चयनित उम्मीदवारों का चिकित्सीय परीक्षण प्रमाण पत्र एवं नियुक्ति आदेश की कंडिका 7 में दर्शाये अनुसार पुलिस चरित्र सत्यापन हेतु निर्धारित प्रपत्र पर शपथ पत्र एवं अनुप्रमाणन फार्म तीन प्रतियों में पूर्ण रूप से भरवाकर प्राप्त करें और उनके स्थाई/अस्थाई निवास तथा शिक्षा प्राप्त करने के दौरान निवासरत अवधि का पुलिस चरित्र सत्यापन कराये जाने हेतु संबंधित पुलिस अधीक्षक को अनुप्रमाणन फार्म एवं शपथ पत्र भेंजे। पुलिस चरित्र सत्यापन प्रमाण पत्र प्राप्त होने पर संचालनालय को मूलतः भेंजे। उम्मीदवार के कार्यग्रहण करने के पूर्व उनकी शैक्षणिक, जाति, मूल निवासी एवं अन्य प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति प्राप्त करें। उम्मीदवार के डिग्री/डिप्लोमा उत्तीर्ण होने की स्थिति में समस्त सेमेस्टर की अंकसूची की सत्यापित प्रति प्राप्त करें। संबंधित के कार्यग्रहण प्रतिवेदन, व्यक्तिगत विवरण एवं प्रमाण पत्रों की एक- एक प्रमाणित प्रति संचालनालय को भेजें। अनुप्रमाणन फार्म एवं शपथ पत्र का प्रारूप संचालनालय की बेवसाइट www.mpskills.gov.in पर उपलब्ध है।
6. संबंधित जिला कोषालय अधिकारी/उप कोषालय अधिकारी मध्यप्रदेश ।
7. संबंधित उम्मीदवार को सूचनार्थ। निर्देशित किया जाता है कि आप अपने शैक्षणिक/तकनीकी योग्यता, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवासी प्रमाण पत्र, चिकित्सीय परीक्षण प्रमाण पत्र एवं अन्य प्रमाण पत्र की मूल प्रति एवं सत्यापित छायाप्रति तथा पुलिस चरित्र सत्यापन हेतु अनुप्रमाणन फार्म पूर्ण रूप से भरकर शपथ पत्र सहित संबंधित संस्था के प्राचार्य/संस्था प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत कर कार्यग्रहण करें। आपको आदेश जारी होने के एक माह के अंदर कार्यग्रहण करना अनिवार्य है अन्यथा आदेश स्वयमेव निरस्त माना जावेगा।
8. स्टेनो संचालक/अतिरिक्त संचालक एवं संयुक्त संचालक कौशल विकास संचालनालय म.प्र. जबलपुर।
9. अधीक्षक/स्थापना/गोपनीय/बजट/पदक्रम सूची अनुभाग, कौशल विकास संचालनालय म.प्र. जबलपुर।

अतिरिक्त संचालक
कौशल विकास मध्यप्रदेश